प्रारूप— 21 ग (नियम 64 देखिये) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

42— धारचूला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री हरीश सिंह धामी

गाम व पोस्ट मदकोट, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ (सौजन्य से इंडियन नेशनल कांग्रेस) द्वारा खड़े किए गए जो उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए है।

स्थानः— पिथौरागढ़ तारीखः—10 / 03 / 2022

> (अनिल कुमार शुक्ला) ट्रानिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर, <u>१२</u>-धारचूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 42-धारचूला

Conduct of Election Rules, 1961

(Statutory Rules And Order) FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

*Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State from 42- Dharchula Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

HARISH SINGH DHAMI

Village + Post Madkot, Munsyari, Pithoragarh [Sponsored by Indian National Congress] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Pithoragarh Date: 10/3/2022

(Anil Kumar Shukla)
Returning Officer,
42-Dharchula
Legislative Assembly Constiuency

रिटॉर्नेग ऑफिसर 42-धारचूला